राष्ट्रीय-संगोष्ठी

भारत में सामाजिक भेदभाव : स्वरुप, कारण एवं निवारण

(Social Discrimination in India: Nature, Causes and Prevention)

06-07 अक्टूबर 2018

पंजीयन - प्रपत्र

नाम : .....

पद : .....

संस्थागत पता : .....

.....

.....

ई-मेल आईडी : .....

मोबाईल नं : .....

शोध-पत्र का विषय: .....

बैक ड्राफ्ट नं. : ..... दिनांक .....

बैंक का नाम : .....

दिनांक हस्ताक्षर

नोट-

प्रतिभागियों से निवेदन है कि वे अपना शोध-आलेख सारांश (Abstract) 300 शब्दों में दिनांक 30 सितम्बर 2018 एवं संपूर्ण शोध - पत्र भेजने की अंतिम तिथि 03 अक्टूबर 2018 तक seminarpssou@gmail.com पर भेजें। हिन्दी हेतु कृति देव- 010 (Font Size -14) और अँग्रेज़ी हेतु Times New Roman (Font Size-12) का उपयोग करें।

पंजीयन शुल्क -

1000 रु. प्राध्यापक गण एवं अन्य विद्वतजन।

600 रु. विद्यार्थियों, शोधार्थियों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं हेतु शुल्क नगद जमा कराएँ या डी.डी. के माध्यम से (Seminar Organiser PSSOU, Bilaspur) के पक्ष में जो बिलासपुर में देय हो।

इच्छुक प्रतिभागी इस पंजीकरण प्रपत्र की छाया प्रति प्रयुक्त कर सकते हैं एवं विश्वविद्यालय website: www.pssou.ac.in से डाउनलोड कर सकते हैं। आवास की व्यवस्था के लिये रु 2400/- व्यक्तिगत एवं 1500/- साझा करने पर प्रति व्यक्ति देय होगा कृपया एक सप्ताह पूर्व सूचित करें।

सम्पर्क करें -

8839017319, 8476985418, 7974663241, 9506986425, 8839476193, 7587365320, 9993450848, 9229703055

आयोजन समिति

संरक्षक

प्रो. बंश गोपाल सिंह

मा. कुलपति

सहसंरक्षक

डॉ. राजकुमार सचदेव

कुलसचिव

संयोजक

डॉ. श्रीमती बीना सिंह

विभागाध्यक्ष : शिक्षा विभाग

संयुक्त संयोजक

श्री संजीव कुमार लवानियाँ

विभागाध्यक्ष : समाजशास्त्र-समाजकार्य विभाग

आयोजन सचिव

डॉ. अनिता सिंह

सहा. प्राध्यापक, शिक्षा विभाग

सदस्य

डॉ. बी.एल.गोयल
डॉ. जयपाल सिंह प्रजापति
डॉ. प्रीतिरानी मिश्रा
डॉ. एस.रुपेन्द्र राव
डॉ. गौरी शर्मा
डॉ.तनुजा बिरथरे
डॉ. सुषमा सोलंकी
श्री फूलेश्वर वर्मा
कु. नेहा अंचल
डॉ. प्रकृति जेम्स
डॉ. रुचि त्रिपाठी
श्री रेशमलाल प्रधान
डॉ. पुष्कर दुबे
डॉ. मोरध्वज त्रिपाठी
डॉ. अनुपमा कुमारी
डॉ. बालक राम चौकसे
कु. शारदा पटेल

संभावित सम्माननीय विशिष्ट वक्ता

प्रोफेसर गौरी दत्त शर्मा
(मा. कुलपति, बिलासपुर विश्वविद्यालय बिलासपुर, छ.ग.)

प्रोफेसर टी. वी. कट्टीमनी
(मा. कुलपति, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय वि.वि. अमरकंटक, म.प्र.)

श्री जगदीश उपासने
(मा. कुलपति, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता वि.वि. भोपाल, म.प्र.)

श्री हिमांशु द्विवेदी
(संपादक, हरिभूमि रायपुर)

श्री राजकुमार गुप्ता
(उप-महाधिवक्ता, छ.ग. उच्च-न्यायलय बिलासपुर)

प्रोफेसर एस.के. जाधव
(विभागाध्यक्ष - बायोटेक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर)

श्री दादा इदाते
(पूर्व चेयरमेन, एन.सी.डी.एन.टी. भारत सरकार, नई दिल्ली)

श्री रमेश पतंगे
(वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता, मुंबई, महाराष्ट्र)

राष्ट्रीय-संगोष्ठी

06-07 अक्टूबर 2018

भारत में सामाजिक भेदभाव : स्वरूप, कारण एवं निवारण

(Social Discrimination in India: Nature, Causes and Prevention)

सं गच्छध्वं सं वदध्वं सं वो मनांसि जानताम् ।
देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते ।।

आइए, सब लोग भावनात्मक रूप से साथ-साथ चलें, साथ-साथ बोलें, साथ-साथ मन को समझें !
जिस प्रकार हमारे पूर्व देवगण समवेत स्वर में परमात्मा की उपासना करते थे !!

ऋग्वेद 10.191.4

आयोजक

शिक्षा विभाग एवं समाजशास्त्र विभाग

पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

email - seminarpssou@gmail.com
pssou.ac.in

विश्वविद्यालय के संदर्भ में -

मानव जीवन के सर्वांगीण विकास में शिक्षा की भूमिका अपरिहार्य है। मनुष्य के जीवन में आने वाली बाधाऐं, उसकी शैक्षिक पिपासा को सीमित न कर सके एवं मनुष्य की शैक्षिक उन्नति सदैव बनी रहे इस उद्देश्य को पूरा करने हेतु मुक्त विश्वविद्यालय में प्रचलित शिक्षा-पद्धति की महती भूमिका है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में स्थित पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, भारत का 11वाँ राज्य मुक्त विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना छत्तीसगढ़ शासन अधिनियम क्रमांक 26 सन् 2004 द्वारा की गयी है। यह अधिनियम 20 जनवरी 2005 में लागू हुआ। विश्वविद्यालय का नाम महान स्वतंत्रता सेनानी, साहित्यकार, समाज सुधारक एवं छत्तीसगढ़ के गाँधी के रुप में विख्यात पण्डित सुन्दरलाल शर्मा जी की स्मृति को आलोकित कर रहा है।

विश्वविद्यालय 'स्वाध्यायः परम् तपः' के ध्येय वाक्य के साथ ' उच्च शिक्षा आपके द्वार' मूल वाक्य को चरितार्थ करते हुए छात्र हित एवं विकास की ओर निरन्तर प्रयत्नशील है। विश्वविद्यालय के अन्तर्गत 06 क्षेत्रीय तथा एक उप क्षेत्रीय केन्द्र एवं 152 अध्ययन-केन्द्र संचालित हैं। विश्वविद्यालय मुख्यालय परिसर बिलासपुर लगभग 71 एकड़ में फैला हुआ है।

बिलासपुर शहर एक परिचय -

बिलासपुर छ.ग. राज्य के 27 जिलों में से एक है। बिलासपुर राज्य की राजधानी रायपुर से लगभग 111 कि.मी. उत्तर मे स्थित है। यह राज्य की न्यायधानी एवं प्रशासनिक दृष्टि से राज्य का दूसरा प्रमुख शहर है। बिलासपुर कृषि के क्षेत्र में चावल की विशेष किस्म (दुबराज, विष्णुभोग) आदि के लिये प्रसिद्ध है। यहाँ के हाथकरघा उद्योग से बनी कोसे की साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। यहाँ की स्थानीय संस्कृति में सुआनृत्य, भोजली, राउत नाचा, पोला इत्यादि प्रमुख रुप से मनाए जाते हैं। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से ऊर्जा के क्षेत्र में बिलासपुर संभाग का देश मे एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। इसके आसपास के क्षेत्रों में कई विद्युत गृहों में लगभग 10,000 से 15,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। पर्यटन के दृष्टिकोण से यहाँ शहर में अनेक स्थल हैं जिसमें विवेकानंद उद्यान, ऊर्जा पार्क, स्मृति वन, यातायात पार्क, बिलासा ताल आदि है। शहर के निकटतम दर्शनीय स्थल रतनपुर महामाया मंदिर, मल्हार, अमरकंटक, कानन पेण्डारी (मिनी जू), तालागाँव और चैतुरगढ़ प्रसिद्ध हैं।

शिक्षा की दृष्टि से बिलासपुर में राज्य के चार प्रमुख विश्वविद्यालय हैं इसके अतिरिक्त इंजी., चिकित्सा एवं कृषि महाविद्यालय स्थित हैं।

आवागमन सुविधा -

छ.ग. राज्य के सभी शहरों को जोड़ने के लिए यहाँ से बस सेवाऐं हैं व बिलासपुर रेल्वे स्टेशन छ.ग. के व्यस्ततम रेल मार्ग में से एक है। दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे जोन का मुख्यालय बिलासपुर में स्थित है। बिलासपुर का हवाई अड्डा चकरभाठा में स्थित है किन्तु दैनिक हवाई सेवा के लिए निकटतम हवाई अड्डा रायपुर है।

संगोष्ठी के विषय में -

भारतीय जीवन दृष्टि में चार वर्ण, चार आश्रम, पुरुषार्थ चतुष्ट्य की व्यवस्था, धर्म आधारित जीवन रचना और विकेन्द्रीकरण रहे। प्राचीन काल में इसी से यहां चौंसठ कलाएँ विकसित हुई, हजारों मंदिरों का शिल्प, पानी एवं कृषि की व्यवस्था, वस्त्र उद्योग, जिनका निर्यात 50 से अधिक देशों में होता था, शिक्षा व्यवस्था में हजारों विदेशी विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे, का विकास हुआ था।

विभिन्नता में एकता की संकल्पना भारतीय समाज की मूलभूत विशिष्टता है। प्राचीन काल से ही भारतीय समाज में विभिन्न वर्णों, जातियों एवं सम्प्रदायों की उपस्थिति भिन्न-भिन्न रुपों में रही है। इन विभिन्नताओं ने एक समरस भारतीय समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है तथा विश्व में भारत की पहचान का महत्त्वपूर्ण स्तम्भ रही है। कालान्तर में इन विभिन्नताओं ने जहाँ एक तरफ एक संगठित एवं सुदृढ़ समाज की नींव डाली वहीं दूसरी ओर इनमें उभरी विकृतियों ने सामाजिक एकता को छिन्न-भिन्न कर दिया ।

वैदिक काल की कर्म एवं व्यवसाय आधारित वर्ण व्यवस्था वर्तमान में जटिल जाति व्यवस्था के रुप में संपूर्ण भारतीय समाज को खण्ड-खण्ड में विभाजित कर दिया है और आपस में वैमनस्य एवं संदेह भर गया, इसका दुष्परिणाम गुलामी तथा मानसिक हीन भावना के रुप में सामने आया।

दुनिया के सभी धर्म, सम्प्रदाय भारत में पाये जाते हैं, इनमें से अधिकतर का उद्भव या केन्द्र भारत ही रहा है। इनके मूल स्वर में भारत के राष्ट्रवाद की आत्मा निहित है लेकिन कुछ एक धर्म, सम्प्रदाय शायद अभी भी अपने को भारत में एक अलग पहचान बनाये रखने के चलते धर्म, सम्प्रदाय आधारित सामाजिक भेदभाव एवं संघर्ष बना हुआ है। संकीर्ण राजनैतिक लाभ के लिये धर्म एवं जाति का राजनीतिकरण किया जाने लगा, जिससे भारतीय समाज विखण्डन की ओर उन्मुख हुआ है।

लैंगिक भेदभाव के कारण सम्पूर्ण समाज दो भागों में विभाजित हो गया । पितृसत्तात्मक समाज के विरुद्ध नारीवादी आन्दोलन चरम पर पहुंच गया । अभी भी महिलाओं की संघर्ष यात्रा जारी है एवं राजनैतिक दल अपने तुच्छ राजनैतिक हितों के कारण महिलाओं से जुड़े विषयों पर एक मत नहीं हैं।

वर्तमान भारत में सामाजिक भेदभाव कई और स्तरों पर उभरा है। जैसे-वृद्धों के प्रति सामाजिक भेदभाव। आज वे वृद्धाश्रम आदि जगहों पर शरण लेने के लिये विवश हैं। गरीब और अमीर आधारित सामाजिक भेदभाव की खाई और अधिक बढ़ गयी है, किसान-ग्रामीण समाज के व्यक्तियों को हेय दृष्टि से देखा जाता है। भारत में जहाँ पूर्वोत्तर के लोगों के साथ उत्तर भारत में जिस तरह की मारपीट एवं सौतेला व्यवहार होता है ऐसा तो किसी विदेशी के साथ भी नहीं होता है।

सामाजिक भेदभाव की समस्या केवल भारत में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में पायी जाती है जैसे - अमेरिका में श्वेत-अश्वेत के मध्य, मुस्लिम देशों में सिया-सुन्नी आदि।

सामाजिक भेदभाव को दूर करने के लिए भारत में समय-समय पर विभिन्न विचारकों, समाज सुधारकों (संत कबीर, दयानंद सरस्वती, महात्मा गाँधी, डॉ. अंबेडकर आदि) का योगदान सराहनीय है। स्वतंत्रता पश्चात कमजोर, पिछडे वर्ग, अनसुचित जाति, अनसुचित जनजाति वर्ग के लोगों और सभी महिलाओं के मूल अधिकारों के संरक्षण एवं सामाजिक न्याय को पाने के लिए संविधान मे विधिक व्यवस्था की है लेकिन विभिन्न सामाजिक विषयों पर शासन, प्रशासन एवं न्यायपालिका की स्थिति स्पष्ट प्रतीत नहीं होती है जो कि समाज मे संघर्ष को जन्म देती है।

प्रश्न यही उठता है कि स्वतन्तत्रा प्राप्ति के 70 वर्ष के पश्चात समाज में शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक स्तर में एक बड़ा परिवर्तन हो चुका है, इसके बावजूद विभिन्न क्षेत्रों-स्तरों पर समाजिक भेदभाव की खाई और गहरी होते हुए ''मॉब लिंचिंग'' के रुप में परिवर्तित हो रही है जो देश की एकता एवं अखण्डता के लिए गंभीर खतरा है यह चिंतनीय एवं विचारणीय है।

संबंधित बिन्दु -

1 सामाजिक भेदभाव का स्वरुप -
जाति / लिंग / वर्ग / संप्रदाय / धर्म / प्रजातीय / भाषीय / क्षेत्रीय / दिव्यांग

2 सामाजिक भेदभाव एवं समाज में विभिन्न प्रक्रियाएँ -
वैश्वीकरण / विवेकीकरण / सात्मीकरण / संस्कृतिकरण / इथ्नोसिन्ट्रिजम, इत्यादि।

3 सामाजिक भेदभाव पर विभिन्न उपागम।

4 भारत मे वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था और सामाजिक भेदभाव।

5 मॉब लिंचिंगः-स्वरुप, कारण एवं निवारण।

6 भारत मे लोकतंत्र की समीक्षा और सामाजिक भेदभाव।

7 पहचान का संकट और सामाजिक भेदभाव।

8 सामाजिक भेदभाव के कारक तत्व - आर्थिक / राजनैतिक / सामाजिक व्यवस्था, इत्यादि।

9 समाज मे प्रदत्त एवं अर्जित प्रस्थितियाँ एवं सामाजिक भेदभाव।

10 शिक्षा, रोजगार के अवसर एवं तीव्र- संधारणीय विकास और सामाजिक भेदभाव।

11 भारत की विविधता एवं विभिन्नता के मध्य 21 वीं सदी में नवोन्मेष से पूर्ण भारत में सामाजिक भेदभाव।

12 सामाजिक भेदभाव के प्रति पत्रकारिता एवं सोशल मीडिया की भूमिका।

13 सामाजिक भेदभाव पर संवैधानिक हस्तक्षेप एवं विधिक उपचार।

14 जाति उन्मूलन के उपाय।

15 सामाजिक भेदभाव को दूर करने में विभिन्न विचारकों एवं समाज सुधारकों का योगदान।

16 अन्य सम्बन्धित विषय।